"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014—ज्येष्ठ 16, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वसुन्धरा कुमारी धर्मपत्नी श्री रावल संजय सिंह (पिता स्व. राजा विश्वराज सिंह) निवासी बिसाऊ हाऊस, हाटेल चांदपोल, जयपुर (राजस्थान) हाल मुकाम पैलेस कवर्धा पो. कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम राजकुमारी त्वरिता देवी था. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम वसुन्धरा कुमारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे वसुन्धरा कुमारी धर्मपत्नी श्री रावल संजय सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजकुमारी त्वरिता देवी धर्मपत्नी श्री रावल संजय सिंह (पिता स्व. राजा विश्वराज सिंह) निवासी-बिसाऊ हाऊस, हाटेल चांदपोल जयपुर हाल मुकाम पैलेस कवर्धा पो. कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	वसुन्धरा कुमारी धर्मपत्नी श्री रावल संजय सिंह (पिता स्व. राजा विश्वराज सिंह) निवासी-बिसाऊ हाऊस, हाटेल चांदपोल जयपुर (राजस्थान) हाल मुकाम पैलेस कवर्धा पो. कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आसमा बेगम पति श्री असलम खान, निवासी क्वा. नं. 1 सी, सड़क नं. 33, सेक्टर 8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम टी. टी. लता (Tachappilly Thankappan Lata) था. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम आसमा बेगम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे आसमा बेगम पति श्री असलम खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
टी. टी. लता पति-श्री असलम खान निवासी-क्वा. नं. 1 सी, सड़क नं. 33, सेक्टर 8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	आसमा बेगम पति-श्री असलम खान निवासी-क्वा. नं. 1 सी, सड़क नं. 33, सेक्टर 8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गौतम रॉय बर्मन (Gautam Roy Barman) पिता सदानंद रॉय बर्मन (Sadananda Roy Barman) निवासी-मकान नं. 101, मयूरी हाईट्स, 127/9 मैत्री कुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम गौतम राय बर्मन (Gautam Ray Barman) पिता श्री सदानंद राय बर्मन (Sadananda Ray Barman) दर्ज है जिसमें अंग्रेजी में इस्पेलिंग गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर गौतम रॉय बर्मन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गौतम रॉय बर्मन पिता श्री सदानंद रॉय बर्मन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
गौतम राय बर्मन (Gautam Ray Barman) पिता-श्री सदानंद राय बर्मन (Sadananda Ray Barman) निवासी-मकान नं. 101, मयूरी हाईट्स, 129/9 मैत्री कुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	गौतम रॉय बर्मन (Gautam Roy Barman) पिता-श्री सदानंद रॉय बर्मन (Sadananda Roy Barman) निवासी-मकान नं. 101, मयूरी हाईट्स, 129/9 मैत्री कुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार वर्मा आत्मज श्री राधेश्याम वर्मा, उम्र 39 वर्ष, निवासी-मकान नं. 117/4, शिल्प सागर अपार्टमेन्ट के पास, मैत्री कुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पूर्व के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम दिनेश कुमार आत्मज श्री राधेश्याम वर्मा दर्ज है परन्तु बाद के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम वर्मा जोड़कर नया नाम दिनेश कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिनेश कुमार वर्मा आत्मज श्री राधेश्याम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
दिनेश कुमार आत्मज-श्री राधेश्याम वर्मा निवासी-क्वा. नं. 117/4, शिला सागर अपार्टमेन्ट के पास, मैत्री कुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.).	दिनेश कुमार वर्मा आत्मज-श्री राधेश्याम वर्मा निवासी-क्वा. नं. 117/4, शिला सागर अपार्टमेन्ट के पास मैत्री कुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 3 मार्च 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/स.प.को/परिसमापन/2014/112-A.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा गौण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या. सिंगनपुर विकासखण्ड केशकाल, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयक क्रमांक/AR/BTR/432 दिनांक 25-11-1997 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. मजुमदार स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 03-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कोण्डागांव, दिनांक 3 मार्च 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/स.प.को/परिसमापन/2014/112-A.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा प्राथमिक श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. मटवाल विकासखण्ड कोंडागांव, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयक क्रमांक/AR/BTR/504 दिनांक 12-08-2005 है, को छ.ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. नामदेव व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 03-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कोण्डागांव, दिनांक 28 मार्च 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/स.प.को/परिसमापन/2014/164.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा मां शारदा महिला ईंट खपरा सहकारी समिति मर्या. सिंगनपुर विकासखण्ड केशकाल, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयक क्रमांक/AR/BTR/518 दिनांक 15-02-2007 है, को छ.ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. मजूमदार स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 28-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आशीष शर्मा,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

अंतर्गत छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/667.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/960 दिनांक 18-05-2008 के तहत् ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. देवरीखुर्द जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 3780 दिनांक 25-09-96 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमे वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. देवरीखुर्द जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 3780 दिनांक 25-09-96 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 19-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.